

पारिशिष्ट - 'अ'
सां. - 1161

प्रति
श्रीमान् निलय डागा जी
विधापड
बैतूल

उत्प्रेत कार्यवाही

विषय :- (1) झूठी F. I. R. करके बाबत,
(2) हलेड मेल करके वाले के विरुद्ध कार्यवाही करके बाबत
महोदय जी,

दुबं. MP09/HG-3213 जो अफोला से बैतूल दाल लेकर आया
था और बैतूल के बाहर सोनाछायी रोड पर रखा था। जिसमें आवश्यक वस्तु
आधिकारियों के अंतर्गत रखा सामग्री (दाल) भरी थी। जिसके परिवहन के
लिए कार्यालय परिवहन आपुस्त नं. 5 के पत्र सं. 242/TC/2019 dt 31-09-2019
द्वारा जारी आदेश के अंतर्गत परिवहन के लिये डिप्टी भी तह की परीक्षण
की आवश्यकता नहीं है। उनके बावजूद दुबं मालिक के पास परीक्षण थी।
इसके बाद भी थाना कीतवाली बैतूल के नियमों को ताक पर करके दुबं
दुबं के विरुद्ध F. I. R. की जाँ अर्बेकारिड है।

(2) ग्लेड हुर ग्लेड के पास 2 व्यक्ति पंडुवे जिनके नाम मनोज देवासुरव एवं
राजवुहार दीवान जो अपने आपको पब्लिक बता रहे थे उन्हेमै दुबं मालिक
से शाली गलौच करी तथा 2 बोरी दाल मुफ्त में देने के लिये
दबाव डाला दुबं मालिक द्वारा मुफ्त में दाल नहीं देने पर उक्त लोगों
ने पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाकर दुबं के विरुद्ध F. I. R. करवाई

यदि इस प्रकार दुस्वर्पोर एवं व्यापारियों को परेशान
किया जायेगा तो बैतूल जिले में दुस्वर्पोर आवश्यक सामग्री जिसमें
दवाई, अनाज, खाद्य सामग्री, एवं अन्य अन्न की सामग्री बैतूल
जिले में नहीं ला पायेगे।

आपसे अनुरोध है ग्लेड पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधीश महोदय से
यची कर हलेड मेल करके वाले दोनो व्यक्तियों के विरुद्ध F. I. R. करी
जाए तथा सुनिश्चित किया जाये कि आवश्यक वस्तु आधिकारियों के अंतर्गत
आने वाले वाहनों को विधेयव आने दिया जाये।

द्वारा
बैतूल के व्यापारी संघ